न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—197 / 2017 / 223 (2017 / 00197)

1. नरपतसिंह पुत्र स्व0 नारायण सिंह (नारायणसिंह पुत्र सायर सिंह), जाति राजपूत, निवासी ग्राम कालेसरा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती कमला कंवर पुत्री प्रेमसिंह (प्रेमसिंह पुत्र सायरसिंह)
2. बहादुर सिंह पुत्र मूलसिंह (मूलसिंह पुत्र सायरसिंह)
3. दौलतसिंह पुत्र मूलसिंह,
4. छोटूसिंह पुत्र मूलसिंह,
5. विमला कंवर पत्नि नन्दसिंह पुत्रवधु मूलसिंह,
6. मुकेश सिंह पुत्र नन्दसिंह,
   समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम कालेसरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
7. सोनू कंवर पुत्री नन्दसिंह पत्नि गोपालसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम बरोल, तह0 मालपुरा, जिला टोंक ।
8. चौसर कंवर पुत्री मूलसिंह पत्नि गोपालसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम कुराड, तह0 मालपुरा, जिला टोंक ।
9. संतोष कंवर पुत्री मूलसिंह पत्नि किशनसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम कुराड, तह0 मालपुरा, जिला टोंक ।
10. श्रीमती उम्मेद कंवर पत्नि भंवरसिंह पुत्री सायरसिंह, जाति राजपूत, नि0 ग्राम कुहाडा बुजुर्ग, तह0 मालपुरा, जिला टोंक ।
11. संग्रामसिंह पुत्र भंवरसिंह, जाति राजपूत, नि0 ग्राम पथराज खुर्द, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक ।
12. श्रीमती दरियाव कंवर पत्नि महावीरसिंह पुत्री भंवरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम आटोली, तह0 मालपुरा, जिला टोंक ।
13. श्रीमती नन्दा कंवर पुत्री नारायण सिंह,
14. श्रीमती अचन कवंर पुत्री नारायण (मृतक) जरिये वारिसानः—
    14 / 1— मंगलसिंह,
    14 / 2— राजूसिंह,
    14 / 3— मनोहरसिंह,
    पुत्रान अचन कंवर, जाति राजपूत, नि0 ग्राम कालेसरा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 15.3.2017 अंतर्गत वाद संख्या 112 / 2011.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री सहदेव चौधरी व श्री आर0पी0शर्मा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 14 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—26.03.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय व डिक्री दिनांक 15.3.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट एवं शेष रेस्पोडेंटस के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पूर्वज सायरसिंह पुत्र जवाहरसिंह की तन्हा खातेदारी की आराजियात खाता संख्या 664 के खसरा नंबर 2533 रकबा 0.67 है0, 2534 रकबा 0.06 है0, दोनों किस्म चाही—3 एवं खसरा नंबर 2660 रकबा 1.27 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 2.00 है0 तथा खाता संख्या 666 के खसरा नंबर 2431 रकबा 0.61 है0, 2433 रकबा 0.78 है0, 2434 रकबा 0.55 हे0, 2436 रकबा 0.44 है0, समस्त चाही 2 तथा खसरा नंबर 2437 रकबा 0.40 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.78 है0 भूमियां ग्राम कालेसरा में अवस्थित है । वादपत्र में सायरसिंह का सजरा अंकित कर आगे कथन किया कि सजरानुसार सायरसिंह के चार पुत्र यथा मूलसिंह, नारायणसिंह, भंवरसिंह व प्रेमसिंह एवं एक पुत्री श्रीमती उम्मेद कंवर हुई, प्रेमसिंह पुत्र सायरसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी एकमात्र वारिस वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती कमला कंवर है ं इस प्रकार सायरसिंह के प्रत्येक वारिस का विवादित भूमि में 1/5, 1/5 हिस्सा निहित है जिस पर सभी सहदायिक/सहखातेदार संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन विभाजन हेतु निवेदन करने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट इंकार करने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है । अतः में निवेदन किया कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादिया के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने वाद में दिनांक 15.3.2017 को प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व अंतिम डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा प्राथमिक डिक्री की न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आदेशिका दिनांक 6.1.2017 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 मूलसिंह का स्वर्गवास हो चका था जिनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर संशोधित शीर्षक एवं सम्मन तलवाना पेश करने बाबत् आदेशिका अंकित है तत्पश्चात् दिनांक 15.3.2017 को मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही करते हुए आदेश अंतर्गत अपील पारित कर दिये गये जिससे अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री अवैधानिक होकर काबिल निरस्तनीय है । मृतक प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को तामीलशुदा/अदम तामील नोटिस बाबत् कोई अंकन नहीं है तथा दिनांक

15.3.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है जो अत्यन्त सूक्ष्म आदेश है जो आदेश 20 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होकर निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद पत्र के संलग्न वाद की पुष्टि में क्या दस्तावेज पेश किये इस बाबत् निर्णय में कोई अंकन नहीं है न ही वादिया की साक्ष्य ग्रहण किए जाने बाबत् निर्णय में कोई अंकन ही है । प्राथमिक डिक्री के उपरांत कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 29.5.20174 को तैयार की गई जिस हेतु प्रतिवादीगण/अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 को न तो सूचना दी गई और न हीं राजस्व ऐजेन्सी द्वारा मौके पर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई है जिससे कुर्रेजात रिपोर्ट भी प्रथमदृष्टया संदेहास्पद होकर शून्य है एवं निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में आराजियात का वर्णन किया गया है जिसमें किस्म चाही की भूमि भी अंकित है लेकिन वादपत्र में न तो चाह के खसरा नंबर दर्शाये है न ही चाह बाबत् कोई अंकन किया गया है । ऐसी स्थिति में बिना चाह के चाही किस्म की आराजियात की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई जो निरस्तनीय है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वादिया द्वारा जो अनुतोष नहीं चाहा गया है वह भी उसे प्रदान कर दिया है जो विधिविरूद्ध है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद साक्ष्य गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा एकतरफा आज्ञाप्ति पारित करने के पश्चात् बरवक्त कुर्रेजात रिपोर्ट भी अपीलांट एवं रेस्पो0 को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने से जानकारी नहीं हो पाई लेकिन दिनांक 19.7.2017 को जब वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा कुछ अजनबी व्यक्तियों को लाकर बेचान के इरादे से मौका स्थिति दिखाई गई तब अधी0न्याया0 के समख जाकर जानकारी करने पर प्राथमिक आज्ञाप्ति बाबत् जानकारी हुई जिस पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया तथा दिनांक 21.7.2017 को निर्णय की नकल एवं दिनांक 25.7.2017 जमाबंदी की नकल प्राप्त कर दिनांक 26.7.2017 को जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । बहस में आगे कथन किया कि विवादित आराजियात के मूल खातेदार सायरसिंह पुत्र जवारसिंह थे जिनके पांच विधिक वारिसान क्रमशः मूलसिंह, उम्मेदकंवर, नारायणसिंह, भंवरसिंह व मृतक प्रेमसिंह है कि जिनमें से प्रेमसिंह का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी विधिक वारिसान रेस्पो0 संख्या 1/वादिया है तथा भंवरसिंह के विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 व 4 एवं नारायणसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 है । विवादित आराजियात पक्षकारान की सहखातेदारी एवं संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक भूमियां है जिसमें प्रत्येक का 1/5, 1/5 हिस्सा है । अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से बंटवारे की आज्ञाप्ति पारित की है तथा तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त की है । यदि अपीलांट को कुर्रेजात रिपोर्ट से कोई आपत्ति है तो उन्हें अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिये था किन्तु अपीलांट ने ऐसा न कर प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध ही अपील पेश की है जो स्वीकार योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत नहीं होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत किये जाने के उपरांत पत्रावली दिनांक 4.3.2017 तक प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की तलबी में नियत थी । दिनांक 20.5.016 को वादिया ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 पेश कर न्यायालय को सूचित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 फौत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे । तत्पश्चात् पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु नियत की गई । तद्पोरांत पत्रावली में तीन तारीख पेशियों पर पत्रावली में तारीख तब्दील की गई एवं दिनांक 6.1.2017 को पत्रावली वादिया के प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई पर ली गई । उक्त तिथि को वादिया ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 22 नयिम 4 जा0दी0 का मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 मूलसिंह पुत्र सायरसिंह की मृत्यु पूर्व में हो चुकी थी जिसकी सूचना प्रार्थिया द्वारा अपने अधिवक्ता को दे दी गई थी किन्तु श्रीमान् का पद कई समय से रिक्त होने एवं कैम्प कोर्ट लगने से उक्त प्रार्थना पत्र आज दिवस को पेश किया जा रहा है । अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर प्रवितादी संख्या 1 मूलसिंह के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे । अधी0न्याया0 ने वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया । उक्त दिनांक को वादिया ने संशोधित शीर्षक एवं सम्मन तलवाना भी पेश किये जिन्हें शामिल मिसल किया गया तथा पत्रावली वास्ते तलबी रिपोर्ट दिनांक 15.3.2017 को पेश करने के आदेश पारित किये । दिनांक 15.3.2017 को अधी0न्याया0 ने अपनी आदेशिका में अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए उन्हें भिन्न–भिन्न समय पर आवाजे दिलाई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं । अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने प्रकरण में उक्त तिथि दिनांक 15.3.2017 को ही वाद में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी । अधी0न्याया0 की उक्त आदेशिकाओं से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की तलबी शेष थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपनी आदेशिका में यह अंकित किया है कि प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे, किया गया अंकन पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत है । अधी0न्याया0 ने अपनी आदेशिका में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि प्रतिवादगण के नोटिस तामील हुए अथवा अदम तामील प्राप्त हुए। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पक्षकार को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। अधी0न्याया0 ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये तथा प्रतिवादीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनाक 15.3.2017 खारिज योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.3.2017 को खारिज किया जाता है । प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए वाद को 6 माह में गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 26.3.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर